

# स्पर्श

## भाग 1

कक्षा 9 के लिए हिंदी ( द्वितीय भाषा ) की पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

**ISBN 81-7450-488-5**

### **प्रथम संस्करण**

जनवरी 2006 माघ 1927

### **पुनर्मुद्रण**

जनवरी 2007 पौष 1928

नवंबर 2007 कार्तिक 1929

जनवरी 2010 पौष 1931

नवंबर 2010 कार्तिक 1932

जनवरी 2012 माघ 1933

अक्टूबर 2012 आश्विन 1934

जनवरी 2014 पौष 1935

दिसंबर 2014 पौष 1936

दिसंबर 2015 अग्रहायण 1937

दिसंबर 2016 पौष 1938

दिसंबर 2017 अग्रहायण 1939

### **PD 300T RPS**

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,  
2006

**₹ 50.00**

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर  
पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक  
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद  
मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित  
तथा पब्लिक प्रिंट (दिल्ली) सर्विस, सी-80,  
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया .फेज-I, नयी दिल्ली  
110 020 द्वारा मुद्रित।

### **सर्वाधिकार सुरक्षित**

□ प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग  
को छापना तथा इवेंट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रितलिपि, रिकॉर्डिंग  
अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका  
संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।

□ इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक  
की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा  
जिल्हे के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर,  
पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।

□ इस प्रकाशन का सभी मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर  
अथवा चिपकाइ गई पट्टी (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा  
अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फोट रोड

हेली एव्सरेंज, होस्टेकरे

बनाणीकरी III, स्ट्रेज

बैंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट, ब्लॉक

डाकघर, नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट: धनकल, बस स्टॉप पनिहाड़ी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्लैक्स

मालोंगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

### **प्रकाशन सहयोग**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम. सिराज अनवर

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा  
(प्रभारी)

संपादक : नरेश यादव

उत्पादन सहायक : राजेश पिप्पल

**आवरण एवं चित्र**

कल्लोल मजूमदार

## आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से धेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञादारी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूँझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को

तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेंगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली  
20 दिसंबर 2005

निदेशक  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद्

## भूमिका

पाठ्यपुस्तकों को वर्तमान सरोकारों के अनुरूप अद्यतन बनाने की प्रक्रिया स्वरूप 2005 में नयी पाठ्यचर्चा तैयार की गई। इस पाठ्यचर्चा में सुझाए उद्देश्यों और मूल्यों के महेनज़र नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्यपुस्तक ‘स्पर्श’ में निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है :

1. यह पाठ्यपुस्तक उन शिक्षार्थियों के बौद्धिक और भाषिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिन्होंने पाँचवीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा अपनी-अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने के पश्चात् छठी कक्षा से हिंदी भाषा का पठन-पाठन प्रारंभ किया है।
2. यह पुस्तक दो भागों—गद्य खंड और काव्य खंड—में विभाजित है। गद्य खंड में पाठों का क्रम संयोजन पाठों के व्याकरणिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शिक्षार्थियों को व्याकरण संबंधी ज्ञान किसी अलग पुस्तक में न देकर इस पुस्तक के माध्यम से ही दिया गया है।
3. काव्य खंड में कवियों को उनके कालक्रमानुसार ही रखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंशराय बच्चन समकालीन कवि हैं। अतः यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर को पहले रखा गया है और उनके पश्चात् ‘बच्चन’ को।
4. पाठों में विभिन्न प्रकार के प्रश्न-अभ्यासों द्वारा शिक्षार्थियों की भाषिक अभिव्यक्ति और व्याकरण संबंधी उनके ज्ञान को अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न किया गया है। आशा है इस पुस्तक के माध्यम से वे हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मज़बूत करने में सफल हो सकेंगे।

5. गद्य खंड और काव्य खंड के प्रारंभ में गद्य और कविता के पठन-पाठन से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख कर दिया गया है। अध्यापकों को इससे गद्य के पाठों और कविता के अध्यापन में सहायता मिलेगी।

पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अध्यापकों एवं छात्रों के सुझावों का स्वागत है।

## **पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति**

### **अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति**

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

### **मुख्य सलाहकार**

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

### **मुख्य समन्वयक**

रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

### **सदस्य**

अनुपम मिश्र, सचिव, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली।

कामिनी भट्टाचार्य, प्रवक्ता, सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

गुणाकर मुले, विज्ञान लेखक, नयी दिल्ली।

प्रदीप जैन, वरिष्ठ अध्यापक, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली।

पद्मजा प्रधान, वरिष्ठ अध्यापिका, डी.एम. स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एन.सी.ई.आर.टी., भुवनेश्वर।

रवींद्र कात्यायन, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुंबई।

रूपेंद्र सिंह, अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, आंध्र प्रदेश।

वीरेंद्र जैन, पत्रकार, सांध्य टाइम्स, नयी दिल्ली।

### **सदस्य-समन्वयक**

स्नेहलता प्रसाद, रीडर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

## आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए परिषद् विशेष आमंत्रित दिलीप सिंह, रजिस्ट्रार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई; लक्ष्मी मुकुंद, अध्यापिका, डी.टी.ई.ए. स्कूल, आर.के. पुरम, सैकटर-4, नयी दिल्ली; उर्मिला शर्मा, अध्यापिका, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाफ़रपुर, नयी दिल्ली की आभारी है।

परिषद् बचेंद्री पाल, धीरंजन मालवे और अरुण कमल की आभारी है जिन्होंने अपनी रचनाओं को पुस्तक में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की। परिषद् इन रचनाकारों के परिजनों/संस्थानों/प्रकाशकों के प्रति भी आभारी है जिन्होंने उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति दी—रामविलास शर्मा की रचना के लिए विनय मोहन शर्मा, यशपाल की रचना के लिए आनंद, शरद जोशी की रचना के लिए नेहा शरद, काका कालेलकर की रचना के लिए काका कालेलकर सर्वोदय सेवा ट्रस्ट, सियारामशरण गुप्त की रचना के लिए प्रमोद कुमार गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर की रचना के लिए केदारनाथ सिंह, हरिवंशराय बच्चन की रचना के लिए अमिताभ बच्चन।

पुस्तक निर्माण संबंधी कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए परिषद् कंप्यूटर स्टेशन इंचार्ज (भाषा विभाग) परशाराम कौशिक; डी.टी.पी. ऑपरेटर, जय प्रकाश राय और सचिन कुमार; कॉपी एडीटर, रामजी तिवारी, राजीव रंजन और यतेन्द्र कुमार यादव; तथा पूफ रीडर, पूजा नेगी और कमलेश कुमारी की आभारी है।

## पाठ-सूची

आमुख  
भूमिका

*iii*  
*v*

### गद्य खंड

गद्य का पठन-पाठन	3
1. रामविलास शर्मा	6
2. यशपाल	13
3. बचेंद्री पाल	21
4. शरद जोशी	35
5. धीरंजन मालवे	
6. काका कालेलकर	43
7. गणेशशंकर विद्यार्थी	55
8. स्वामी आनंद	62
	69

### काव्य खंड

कविता का पठन-पाठन	83	
9. रैदास		
10. रहीम	● अब कैसे छूटै राम, नाम... ● ऐसी लाल तुझ बिनु...	87
11. नज़ीर अकबराबादी	दोहे	92
12. सियारामशरण गुप्त	आदमी नामा	97
13. रामधारी सिंह दिनकर	एक फूल की चाह	102
14. हरिवंशराय बच्चन	गीत-अगीत	112
15. अरुण कमल	अग्नि पथ ● नए इलाके में... ● खुशबू रचते हैं हाथ...	117 120

## भारत का संविधान

### उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>१</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता  
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में  
व्यक्ति की गरिमा और <sup>२</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (वयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (वयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।